

आयकर अपीलिय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 28/इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2011-12

कृष्णा ऑईल एंड प्रोटिन्स प्रा.लि., इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त 5(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएसीसीके 9082 बी		

आ.अ.सं. 36/इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पद्मावती रिटेल इंडिया प्रा. लिमिटेड, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 4(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएएफसीपी 3977 आर		

आ.अ.सं. 39/इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2014-15

नोबल फ्रेंड्स फाउंडेशन, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी (एकजंप्शन), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएटीएन 3869 जे		

अपीलार्थियों की ओर से :	श्री प्रकाश जैन तथा श्रीमती श्रेया जैन, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	21.06.2021
उद्घोषणा तिथि :	21.06.2021

आदेश

श्री मनीष बोर्ड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा 2014-15 के लिए अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा ये अपीलें क्रमशः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-III, इंदौर के आदेश दिनांक 05.11.2019, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दिनांक 04.10.2019 तथा 10.10.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारितियों को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारितियों के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारितियों को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण

का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारितियों को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 21.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मधुमिता राँय)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 21.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल